

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 459/2019-20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

तानिस होरो

- विक्रेता

मरियम होरो

- क्रेता

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

05.12.20


आदेश


आवेदक तनिस होरो पिता स्व० थोमस होरो ग्राम-कुदरी, थाना तोरपा, जिला खूँटी ने मरियम होरो पिता बरनावास होरो ग्राम-कुल्डा, थाना-तोरपा, थाना तोरपा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)
डोडमा	10	54	927	0.22

अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 300 दिनांक 14.05.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित भूमि पर विवाद होने के कारण भूमि बिक्री हेतु अनुशंसा नहीं की गयी है।

अतः अंचल अधिकारी, तोरपा द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।
लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।